इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 629] भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-ए 3-63-2017-एक-पांच(101)

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-63/2017/1/पांच (82) दिनांक 29 सितंबर, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी, मैं निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्ति हो या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर 1 अक्टूबर, 2018 से लागू नहीं होगी ।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–63/2017/1/पांच भोपाल, दिनांक 01/12/2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–63/2017/1/पांच (101), दिनांक 01/12/2018, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

No. F A-3/63/2017/1/V (101) **Bhopal, date 01 December, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A 3-63/2017/1/V (82) dated the 29th September, 2018, namely:–

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the 1st day of October, 2018.".

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.